001

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा

सार्वजनिक नीलामी सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर गोण्डा में सर्वर रूम के बगल स्थित इमली की डाली, परिसर में एक सूखा पेड़ आम, सहजन एवं नीम की डाली, इमली की जलौनी लकड़ी, की नीलामी दिनांक 28-02-2025 को सायं 04:30 बजे की जानी है। जनपद गोण्डा के स्थानीय इच्छुक ठेकेदार जो नीलामी में प्रतिभाग करना चाहते है वे उक्त दिनांक को समय 02:00 बजे तक नजारत अनुभाग में 5,000/- रूपये की धनराशि जमा कर उक्त नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं।

1- नीलामी में लिए गए वृक्षों का कटान नियमानुसार पातन अनुमति, पातन अनुमति शुल्क क्षेत्रीय वनाधिकारी गोण्डा के यहाँ जमा करके किया जा सकता है।

2- कटान के समय, यदि राजकीय सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व नीलामी लेने वाले व्यक्ति/ठेकेदार का होगा।

3- नीलामी धनराशि पर किसी भी प्रकार का कर यदि देय होता है या भारित होता है, तो उसके भुगतान का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नीलामी लेने वाले व्यक्ति/ठेकेदार का होगा।

4- अन्तिम बोली स्वीकृत होने के पश्चात नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि नीलामी लेने वाले व्यक्ति/ठेकेदार द्वारा तत्काल जमा किया जाना होगा।

5- किसी भी तरह के विवाद के निपटारे का क्षेत्राधिकार केवल जनपद न्यायालय गोण्डा का होगा।

19.2.25	19/2/2025	
(सर्वजीत कुमार सिंह) सदस्य नीलामी समिति/ चतुर्थ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश ई.सी.एक्ट, गोण्डा	(राजेश नारायण मणि त्रिपाठी) सदस्य नीलामी समिति/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, गोण्डा	(राजबहादुर रामदेव यादव) अध्यक्ष नीलामी समिति/ विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, गोण्डा

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।

नीलामी दिनांक 28–02–2025

संख्या 785 /नाजिर दिनांक 20-02–2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु :–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2. जिलाधिकारी कार्यालय, गोण्डा ।
3. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गोण्डा ।
4. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा को निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
5. नगर पालिका परिषद, गोण्डा ।
6. जिला परिषद कार्यालय , गोण्डा ।
7. सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर अनुभाग को जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय, गोण्डा ।